पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-723

दिनांक:-28-03-2025

जोन दक्षिणी/ थाना मोहनलालगंज

आपरेशन कन्विक्शन के तहत लखनऊ पुलिस एवं अभियोजन विभाग के संयुक्त प्रयास से मा0 न्यायालय द्वारा धारा 354 ख भादवि व 8 पाक्सो एक्ट थाना मोहनलालगंज लखनऊ से सम्बन्धित 01 आरोपी को 3 वर्ष के कठोर कारावास व 1000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

संक्षिप्त विवरण:-

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश महोदय के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के दृष्टिगत श्रीमान पुलिस आयुक्त महोदय श्री अमरेन्द्र कुमार सेंगर व संयुक्त पुलिस आयुक्त अपराध एवं मुख्यालय महोदय श्री अमित वर्मा द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण व अपराधियों को माननीय न्यायालय मे अधिकाधिक सजा कराये जाने के दृष्टिगत माननीय न्यायालय मे सघन पैरवी के क्रम में श्रीमान पुलिस उपायुक्त (दक्षिणी) श्री निपुण अग्रवाल के कुशल पर्यवेक्षण एवं श्रीमान अपर पुलिस उपायुक्त (दक्षिणी) श्री अमित कुमावत तथा श्रीमान सहायक पुलिस आयुक्त मोहनलालगंज श्री रजनीश वर्मा के निर्देशन में एवं प्रभारी निरीक्षक मोहनलालगंज श्री अमर सिंह के नेतृत्व में थाना स्थानीय के पैरोकार का0 सुनील कुमार के द्वारा अथक प्रयास व प्रभावी पैरवी किया गया जिसके फलस्वरूप माननीय न्यायालय स्पे0 पाक्सो एक्ट द्वारा दिनांक 25/3/2025 को वाद सं0–1042/17 मु.अ.सं.-539/17 धारा 354ख IPC व 8 पाक्सो एक्ट थाना मोहनलालगंज लखनऊ में निर्णायक फैसला दिया गया । अभियोग उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त- **01- विक्रान्त रावत पुत्र अमर सिंह रावत नि0 उदवतखेड़ा खुजौली** थाना मोहनलालगंज लखनऊ को दोषसिद्ध करते हुए 03 वर्ष का कठोर कारावास व 1000/- रूपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है। अर्थदंड अदा न करने पर 1 माह का अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा दिया गया तथा 8 पाक्सो एक्ट में 3 वर्ष का कठोर कारावास व 1 हजार अर्थदण्ड की सजा दिया गया।

नाम व पता अभियुक्त/ सम्बन्धित अभियोग-

1. विक्रान्त रावत पुत्र अमर सिंह रावत नि0 उदवतखेड़ा खुजौली थाना मोहनलालगंज लखनऊ

आपराधिक इतिहास अभियुक्त -

क्र.सं.	मु.अ.सं.	धारा	थाना
1.	539/17	376/511/506 ipc 3/4 पाक्सो एक्ट	मोहनलालगंज

फैसला-

अभियुक्त विक्रांत रावत उपरोक्त को मुकदमा उपरोक्त में मा0 न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि करते हुये 03 वर्ष के कठोर कारावास व 1000/-रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड न अदा करने पर 1 माह का अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा भुगतना होगा।

पैरवीकर्ता-

01-प्रभारी निरीक्षक श्री अमर सिंह थाना मोहनलालगंज लखनऊ

02-का0 सुनील कुमार (पैरोकार) थाना मोहनलालगंज लखनऊ

11.शाहमीना तिराहे से कैसरबाग की ओर से हरदोई रोड की ओर जाने वाले रोडवेज, सिटी बस पक्का पुल की तरफ नही जा सकेंग, बल्कि यह वाहन शाहमीना तिराहे से बांये मेडिकल कालेज चौराहा, चौक चौराहा, कोनेश्वर चौराहा होकर अपने गंतव्य को जा सकेंगे।

12.एवरेडी तिराहे से मिल एरिया की ओर कोई भी बडे वाहन/कार्मिशियल वाहन नही जा सकेंगे, बल्कि यह वाहन मवैया ओवरब्रिज/लगडा फाटक ओवरब्रिज, राजाजीपुरम् होकर अपने गन्तव्य को जा सकेंगें।

13.मिल एरिया से बुलाकी अड्डा की तरफ तुलसीदास मार्ग पर नमाज में सम्मिलित होने वालों के अतिरिक्त किसी अन्य के वाहन नही जा सकेंगे।

14.बुलाकी अड्डा तिराहे से लाल माधव (हैदरगंज) की ओर यातायात (नमाज में सम्मिलित होने वाले वाहनों के अतिरिक्त) कोई भी वाहन नही जाने दिया जायेगा।

15.लाल माधव तिराहा (हैदरगंज) से ईदगाह की तरफ (नमाज में सम्मिलित होने वाले वाहनों के अतिरिक्त) कोई भी वाहन नही जाने दिया जायेगा।

16.नाका से ऐशबाग की ओर (नमाज में सम्मिलित होने वाले वाहनों के अतिरिक्त) कोई भी वाहन नही जाने दिया जायेगा, बल्कि यह वाहन रकाबगंज पुल/नत्था तिराहा, मवैया होकर अपने गंतव्य को जा सकेंगे।

17.यहियागंज से ईदगाह ऐशबाग की तरफ (नमाज में सम्मिलित होने वाले वाहनों के अतिरिक्त) कोई भी वाहन नही जाने दिया जायेगा।

18.यहियागंज वाटर वर्क्स रोड की ओर से ऐशबाग ईदगाह की ओर आने वाला सामान्य यातायात (नमाज में सम्मिलित होने वाले वाहनों के अतिरिक्त) नहीं जा सकेंगे, बल्कि यह यातायात यहियागंज तिराहा से नक्खास तिराहा होकर अपने गन्तव्य जा सकेंगे।

19.रकाबगंज पुल चौराहे से सामान्य यातायात नक्खास/यहियागंज नही जा सकेगा, बल्कि यह यातायात नाका/मेडिकल कालेज होकर अपने गन्तव्य को जा सकेंगे ।

20.ऐशबाग पुल के नीचे नाका की तरफ से आने वाला यातायात ऐशबाग ओवरब्रिज होते हुए ऐशबाग चौकी होकर ऐशबाग ईदगाह की ओर नहीं जा सकेगा, बल्कि यह यातायात पुल के नीचे से ही वापस मोतीनगर होकर अपने गतव्य को जा सकेगा।

21.राजेन्द्र नगर चौराहे से सामान्य यातायात ऐशबाग ओवरब्रिज की ओर होते हुए ईदगाह की ओर नहीं जा सकेगा, बल्कि यह यातायात मोतीनगर होते हुए अपने गन्तव्य को जा सकेगा।

22.बाबूलाल हलवाई व मास्टर कन्हैया लाल रोड से ईदगाह की ओर कोई वाहन नहीं जा सकेगा, बल्कि यह यातायात बाबूलाल हलवाई चौराहा से अपने गन्तव्य को जा सकेगा।

23.गूँगा-बहरा व रस्तोगी इण्टर कालेज (कपूर मोर्टस) तिराहे की ओर से कोई वाहन ऐशबाग ईदगाह की ओर नहीं जा सकेगा।

24.पीली कालोनी के अन्दर से कई मार्ग ऐशबाग ईदगाह की ओर आते है, कोई भी यातायात इस मार्ग पर आने नहीं दिया जायेगा।

25.एसएन मिश्रा द्वार तिराहे से किसी प्रकार के यातायात ऐशबाग ईदगाह की ओर नहीं जा सकेगा।

26.मोतीझील कालोनी से ऐशबाग ईदगाह की ओर कोई भी यातायात नहीं जा सकेगा।

27.अन्जुमन चौराहा से ऐशबाग ईदगाह की ओर कोई वाहन नहीं आ सकेगा।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-724
दिनांक-28.03.2025

जोन- पश्चिमी/ थाना-वजीरगंज

- **बेरहमी से निर्मम हत्या करने वाले 02 अभियुक्तों को 72 घंटे से पहले किया गया गिरफ्तार।**
- **हत्या में प्रयुक्त आलाकत्ल- 01 अदद सीमेन्ट की ईट, 01 अदद मृतक का बैंग व 01 अदद मृतक का मोबाइल फोन बरामद।**
- **क्राइम ब्रांच, व थाना वजीरगंज की संयुक्त पुलिस टीम की सफलता।**
- **गिरफ्तार अभियुक्तगण- 01-बब्लू पाण्डेय 02-माया प्रकाश मिश्रा उर्फ जुगनू**
- **गिरफ्तारी स्थान- शहीद स्मारक से**

संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 25.03.2025 को कचेहरी गेट नं0 8 के पास से एक अज्ञात पुरुष का शव मृत अवस्था में संदिग्ध परिस्थियो में प्राप्त हुआ था ।जिसमे थाना स्थानीय पर पंचायतनामा की कार्यवाही कराते हुए उक्त अज्ञात शव को मर्चरी हाउस में दाखिल कराया गया तथा उक्त अज्ञात शव के संबन्ध मे जानकारी / शिनाख्त किये जाने हेतु इश्तेहार / सोशल मीडिया के माध्यम से कराया गया था जिसमे दिनांक 27.03.2025 को उपरोक्त अज्ञात शव के वारिस के रुप में मृतक के भाई श्री श्याम किशोर मिश्रा द्वारा शव की पहचान की गयी तथा प्रकरण में बताया गया कि मेरे भाई का नाम कल्लू मिश्रा है जिसकी निर्मम हत्या बब्लू पाण्डेय व माया प्रकाश मिश्रा द्वारा साजिश के तहत करते हुए पैतृक संपत्ति को प्राप्त किये जाने हेतु किया गया है।

जिसके संबन्ध में वादी मुकदमा श्री श्याम किशोर मिश्रा पुत्र रामकृपाल मिश्रा निवासी ग्राम रामकोट थाना रामकोट जनपद सीतापुर द्वारा दी गयी तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर अभियोग संख्या 77/2025 धारा 103(2)/61(2) भा0न्या0सं0 विरुद्ध 1.बब्लू पाण्डेय पुत्र कलपराम पाण्डेय निवासी इटहा जनपद बहराईच 2. माया प्रकाश मिश्रा उर्फ जुगनू पुत्र रामकृपाल निवासी ग्राम थाना रामकोट जनपद सीतापुर का पंजीकृत कराया गया।

जिसमे अभियुक्तगण की पतारसी सुरागरसी में मामूर होकर पुलिस टीम द्वारा दिनांक 27.03.2025 की रात को अभियुक्तगण 1.बब्लू पाण्डेय पुत्र कलपराम पाण्डेय निवासी इटहा जनपद बहराईच 2. माया प्रकाश मिश्रा उर्फ जुगनू पुत्र रामकृपाल निवासी ग्राम थाना रामकोट जनपद सीतापुर को शहीद स्मारक से मुखबिर खास की सूचना पर गिरफ्तारी करते हुए अभियुक्तगण बब्लू पाण्डेय व माया प्रकाश मिश्रा उर्फ जुगनू उपरोक्त को गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्तों द्वारा पूछताछ के क्रम मे अपना जुर्म स्वीकार करते हुए बताये कि जमीन के लालच में उनके द्वारा दिनांक 24.03.2025 को शाम के समय मृतक कल्लू को मोबाइल देने के बहाने गाँव से यहाँ लखनऊ बुलाया गया तथा योजनाबद्ध तरीके से कल्लू मिश्रा को सीमेन्ट की ईट से कुचलकर हत्या कर दिया गया।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-722
दिनांक 28.03.2025

जोन- दक्षिणी/ थाना- सुशान्त गोल्फ सिटी

- **वादिनी को धमकी देकर मुकदमा वापस लेने की धमकी देना व जबरदस्ती बन्धक बनाकर शारीरिक शोषण करने वाले 01 नफर शातिर अभियुक्त को गिया गिरफ्तार।**

01-सक्षिप्त विवरण-

दिनांक 24.02.2025 को वादिनी की लिखित तहरीर के आधार पर विपक्षीगण द्वारा वादिनी को धमकी देकर मुकदमा वापस लेने का दबाव बनाना तथा जबरदस्ती बन्धक बनाकर शारीरिक शोषण कर शादी करने से इन्कार कर देने के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 99/25 धारा 351(3)/69/127(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया था।

विवेचना के क्रम में दिनाँक 28.03.2025 को उ0नि0 रामप्रवेश साहनी मय पुलिस टीम के थाना सुशान्त गोल्फ सिटी से अभियुक्त के घर के जनपद अयोध्या मे दबिश हेतु रवाना हुआ तत्पश्चात मुखविर खास की सूचना पर पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त निखिल निषाद पुत्र संजय निषाद निवासी ग्राम सिरसिडां, सरायरासी थाना महराजगंज जनपद अयोध्या उम्र करीब 22 वर्ष के घर दबिश दी गयी तो अभियुक्त निखिल निषाद उपरोक्त घर पर मौजूद मिला जिसको उपरोक्त मुकदमे से अवगत कराते हुये हिरासत पुलिस लेकर माननीय न्यायालय के समक्ष रिमाण्ड हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है।

02-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण—

1. निखिल निषाद पुत्र संजय निषाद निवासी ग्राम सिरसिडां, सरायरासी थाना महराजगंज जनपद अयोध्या उम्र करीब 22 वर्ष

03-पंजीकृत अभियोग-

1.मु0अ0सं0 99/25 धारा 351(3)/69/127(2) बीएनएस थाना सुशान्त गोल्फ सिटी लखनऊ।

04-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

➢ थाना सुशान्त गोल्फ सिटी पुलिस टीम,जोन दक्षिणी कमिश्नरेट, लखनऊ।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-720
दिनांक 28.03.2025

जोन-पश्चिमी/ थाना- रहीमाबाद

- **01 नफर वारण्टी/अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार**

01-संक्षिप्त विवरण:

माननीय न्यायालय द्वारा जारी वारण्ट वाद केस नं0 74586/21 क्रा0नं0 58/20 धारा 420 भादवि व 3/5/8 गौवध अधिनियम व 11 पशु क्रुरता अधिनियम से सम्बन्धित अभियुक्त एहसान उर्फ गोफे पुत्र जाफरान उम्र करीब 25 वर्ष निवासी ग्राम बंजारनखेड़ा मजरा गढी जिन्दौर थाना रहीमाबाद जनपद लखनऊ के घर पर दबिश दी गयी जो अपने घर पर मौजूद मिला। जिसे आज दिनांक 28.03.2025 को गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय के समक्ष भेजा जा रहा है।

02-नाम व पता अभियुक्त

1. एहसान उर्फ गोफे पुत्र जाफरान उम्र करीब 25 वर्ष निवासी ग्राम बंजारनखेड़ा मजरा गढी जिन्दौर थाना रहीमाबाद जनपद लखनऊ

03-सम्बन्धित वाद-

01-वारण्ट वाद केस नं0 74586/21 क्रा0नं0 58/20 धारा 420 भादवि व 3/5/8 गौवध अधिनियम व 11 पशु क्रुरता अधिनियम

04-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:

1-व0उ0नि0 श्री अनिल कुमार वर्मा थाना रहीमाबाद

2.आरक्षी देशराज थाना रहीमाबाद

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-719
दिनांक- 28.03.2025

जोन-पश्चिमी/थाना काकोरी

- **01 नफर वारण्टी/अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**

01-संक्षिप्त विवरण-

माननीय न्यायालय द्वारा गैर जमानतीय वारण्ट से सम्बन्धित अभियुक्त सोनू खाँ उर्फ हमजाखान पुत्र जाहिद खान निवासी 203के/4 नवी उल्ला रोड़ नई बस्ती वजीरगंज लखनऊ माननीय न्यायालय में उपस्थित नहीं हो रहा था अभियुक्त सोनू खाँ उर्फ हमजाखान उपरोक्त के विरूद्ध माननीय न्यायालय द्वारा गैर जमानतीय वारण्ट के साथ 82/83 सीआरपीसी करने का आदेश जारी किया गया था, अभियुक्त सोनू खाँ उर्फ हमजाखान उपरोक्त के मिलने वाले सम्भावित स्थानो पर दबिश दी जा रही थी कि आज दिनांक 28.03.2025ल को वारण्टी अभियुक्त सोनू खाँ उर्फ हमजाखान पुत्र जाहिद खान निवासी 203के/4 नवी उल्ला रोड़ नई बस्ती वजीरगंज लखनऊ को माननीय न्यायालय द्वारा लखनऊ सम्बन्धित निर्गत वाद संख्या 885/12 मु0अ0सं0 293/11 धारा 363/366/376/368 भादवि व 3(2)V एससी/एसटी एक्ट थाना काकोरी लखनऊ को उसके घर से गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा मे भेजा गया।

02-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01-सोनू खाँ उर्फ हमजाखान पुत्र जाहिद खान निवासी 203के/4 नवी उल्ला रोड़ नई बस्ती वजीरगंज लखनऊ।

03-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

1. उ0नि0 श्री राजकुमार कोतवाली काकोरी
2. का0 शिवम गुप्ता कोतवाली काकोरी

4-ROYAL STAG WHISKEY धारिता 750 ML तीव्रता-42.8 प्रतिशत V/V, FOR SALE IN UT CHANDIGARH ONLY (60X12=720 बोतल)

पायी गई ट्रक ड्राइवर कपिल वर्मा करवल पुत्र गुरवचन दास नि0 म0सं0 168, सेक्टर 52, थाना सेक्टर-36 चण्डीगढ़ को गिरफ्तार कर अभियुक्त कपिल वर्मा करवल के पास से 10,230/- रूपये नगद, 02 अदद मोबाइल सैमसंग एण्ड्राईड व ओपो एण्ड्राईड बरामद हुए।

ट्रक सं0- PB65AH3597 को पुलिस कब्जे में लेते हुए। थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 91/2025 धारा 318(4) बीएनएस व धारा-60/63/72 आबकारी अधिनियम बनाम कपिल वर्मा करवल पुत्र गुरवचन दास नि0 म0सं0 168, सेक्टर 52, थाना सेक्टर-36 चण्डीगढ़ के विरूद्ध पंजीकृत किया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

02-अपराध का उद्देश्यः-

अभियुक्त द्वारा बिहार में शराब बंदी का लाभ उठाकर ऊंचे दाम पर बेचकर अधिक लाभार्जन करने की नियत से ले जाना।

03-गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण—

1. कपिल वर्मा करवल पुत्र गुरवचन दास नि0 म0सं0 168, सेक्टर 52, थाना सेक्टर-36 चण्डीगढ़ हरियाणा।

04-बरामदगीः-

- 459 अदद पेटी चंडीगढ मार्का अग्रेजी शराब।
- 01 अदद ट्रक सं0- PB65AH3597(TATA)
- 02 अदद मोबाइल सैमसंग एण्ड्राईड व ओपो एण्ड्राईड
- 10,230/- रूपये नगद बरामद।

05-गिरफ्तार करने वाली टीम-

एसटीएफ टीम	आबकारी टीम	काकोरी पुलिस टीम
नि0 श्री प्रमोंद कुमार	निरीक्षक श्री अखिलेश कुमार	उ0नि0 श्री धीरज भारद्वाज
उ0नि0 श्री वीरेन्द्र सिंह यादव	निरीक्षक श्री अभिषेक सिंह	उ0नि0 श्री सुशील कुमार
हे0का0 बृजेन्द्रनाथ राय	निरीक्षक श्री कौशलेन्द्र रावत	का0 अनुज कुमार शर्मा
हे0का0 प्रभात कुमार	निरीक्षक श्री लक्ष्मीशंकर वाजपेयी	
हे0का0 नीरज कुमार मिश्रा	श्री अखिल कुमार गुप्ता	
हे0का0 नीरज कुमार	प्र0आ0सि0 अजीत पाल सिंह	
का0 अमित कुमार	निरीक्षक संजीव कुमार तिवारी	
चालक हे0का0 राकेश कुमार मिश्रा	निरीक्षक श्रीमती रीता वर्मा	
	का0 प्रभात कुमार	
	का0 अमित चौधरी	

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-718

दिनांक-28.03.2025

जोन- पश्चिमी/ थाना-काकोरी

- **लखनऊ एसटीएफ, आबकारी विभाग एवं काकोरी पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा लगभग 30 लाख रुपये की 459 पेटी (4500 ली0) अग्रेजी शराब चंडीगढ मार्का को किया बरामद।**
- **अवैध शराब ले जाने वाले 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**
- **अभियुक्त के कब्जे से घटना में प्रयुक्त 02 अदद मोबाइल को किया बरामद**
- **01 अदद ट्रक व अभियुक्त के कब्जे से 10,230/- रूपये नगद बरामद ।**
- **गिरफ्तार अभियुक्त- कपिल वर्मा करवल**
- **गिरफ्तारी स्थान- आगरा लखनऊ एक्सप्रेस-वे टोल प्लाजा से**

01-सक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 27.03.2025 को अखिलेश कुमार आबकारी निरीक्षक क्षेत्र-02, लखनऊ और आबकारी निरीक्षक अभिषेक सिंह क्षेत्र-04, लखनऊ, मय हमराह प्रधान आबकारी सिपाही अमित चौधरी के अपने देखभाल क्षेत्र में काकोरी पुलिस टीम के साथ संयुक्त आगरा लखनऊ एक्सप्रेस-वे टोल प्लाजा पर संयुक्त चेंकिग की जा रही थी कि एस0टी0एफ0 टीम के निरीक्षक श्री प्रमोंद कुमार, उ0नि0 श्री वीरेन्द्र सिंह यादव, हे0का0 प्रभात कुमार, हे0का0 बृजेन्द्रनाथ राय, हे0का0 नीरज कुमार मिश्रा, हे0का0 नीरज कुमार, का0 अमित कुमार मय सरकारी गाड़ी यू0पी0 32 बी0जी0 4486 चालक हे0का0 राकेश कुमार मिश्रा के साथ उपस्थित आये तथा बताया कि जरिये मुखबिर खास के द्वारा सूचना मिली है कि एक ट्रक सं0-PB65AH3597 में अवैध शराब छिपाकर चण्डीगढ़ से लोड कर आगरा लखनऊ हाईवे से होते हुए बिहार ले जायी जा रही है।

मुखबिर के बताए ट्रक का इंतजार टोल प्लाजा पर करने लगे। इसी दौरान समय शाम लगभग 08.30 बजे टाटा ट्रक संख्या- PB65AH3597 टोल बूथ पार करते हुए दिखाई दी, जिसको संयुक्त टीम द्वारा उपरोक्त ट्रक को मय टीम द्वारा हाथ देकर रूकवाया गया एवं ट्रक की तलाशी ली गई तो कुल 312 कार्टन/बोरियां पाए गये जिनमें 459 पेटी अवैध शराब पायी गयी।

पेटी में रखी बोतलों की गिनती की गयी तो-

01-ALL SEASONS WHISKEY, धारिता 750 ML तीव्रता-42.8 प्रतिशत V/V, FOR SALE IN UT CHANDIGARH ONLY (18X12 =216 बोतल)

2. McDOWELLS NO.01 WHISKEY, धारिता 750 ML तीव्रता-42.8 प्रतिशत V/V, FOR SALE IN UT CHANDIGARH ONLY (45X12=540 बोतल), (69X24=1656 अद्धा), (80X48=3840 पौआ)

3. ROYAL CHALLENGE WHISKEY, धारिता 750 ML तीव्रता-42.8 प्रतिशत V/V, FOR SALE IN UT CHANDIGARH ONLY (187X12= 2244 बोतल)

04-बरामदगीः-

- घटना में प्रयुक्त 01अदद आलाकत्ल ताडी काटने वाला चाकू (हशियानूमा) ।

05-गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम -

1. अभिषेक दवाच्याँ आई0पी0एस0 थाना प्रभारी काकोरी कमिश्नरेट लखनऊ
2. प्रभारी निरीक्षक नवाब अहमद थाना काकोरी कमिश्नरेट लखनऊ
3. उ0नि0 श्री सत्येन्द्र प्रताप सिंह थाना काकोरी कमिश्नरेट लखनऊ
4. उ0नि0 श्री रणविजय सिंह थाना काकोरी कमिश्नरेट लखनऊ
5. उ0नि0 श्री मनीष कुमार थाना काकोरी कमिश्नरेट लखनऊ
6. उ0नि0 श्री अंशुमान कुमार थाना काकोरी कमिश्नरेट लखनऊ
7. का0 गौरव भदौरिया थाना काकोरी कमिश्नरेट लखनऊ
8. का0 धीरेन्द्र मौर्या थाना काकोरी कमिश्नरेट लखनऊ

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं.717
दिनांक-28.03.2025

जोन- पश्चिमी/ थाना-काकोरी

- **थाना काकोरी पुलिस टीम द्वारा 10,000-10,000/- रुपये के ईनामिया 02 शातिर वांछित अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार।**
- **घटना में प्रयुक्त 01 अदद आलाकत्ल ताडी काटने वाला चाकू (हशियानूमा) बरामद।**
- **गिरफ्तारी का स्थान- फतेहगंज खुशहालगंज मार्ग बबुरियाखेडा से**
- **गिरफ्तार अभियुक्त- 1- विनीत कुमार 2- अनिल कुमार उर्फ टाडा**

01-सक्षिप्त विवरण:-

थाना काकोरी क्षेत्र में दिनांक 21.03.2025 को समय करीब 08.30 बजे मनोज लोधी व रोहित लोधी की अज्ञात व्यक्तियों द्वारा गला रेतकर हत्या कर दी गयी थी। जिसके सम्बन्ध में वादी रमेश कुमार लोधी पुत्र स्व0 जगन्नाथ प्रसाद निवासी पानखेडा थाना काकोरी लखनऊ द्वारा दी गयी तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर **मु0अ0सं0 84/2025 धारा 103(1) बी0एन0एस0-2023** बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया था। मुकदमा उपरोक्त में प्रकाश में आये 05 अभियुक्तगण में से 03 नफर अभियुक्तगण को पूर्व में ही गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा चुका है।

अभियोग में प्रकाश में आये वाँछित अभियुक्त 1. विनीत कुमार पुत्र प्रकाश निवासी ग्राम लालताखेड़ा थाना काकोरी लखनऊ उम्र करीब 27 वर्ष 2.अनिल कुमार उर्फ टाडा पुत्र खिलाड़ी निवासी ग्राम लालताखेड़ा थाना काकोरी लखनऊ उम्र करीब 35 वर्ष की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम द्वारा उनके मिलने वाले सभी सम्भावित स्थानो पर दबिश दी जा रही थी। अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी होने के कारण गिफ्तार नहीं हो रहे थे।

उपरोक्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस उपायुक्त (पश्चिमी) द्वारा 10000-10000 रूपये का पुरस्कार घोषित किया गया था।

पुलिस टीम द्वारा अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु मिलने वाले स्थानों पर सघन चेंकिग अभियान चलाया जा रहा था। सूचना के आधार पर पुलिस टीमों ने फतेहगंज खुशहालगंज मार्ग बबुरियाखेडा से अभियुक्त 1. अनिल कुमार उर्फ टाडा पुत्र खिलाड़ी निवासी ग्राम लालताखेड़ा थाना काकोरी लखनऊ उम्र करीब 35 वर्ष 2. विनीत कुमार पुत्र प्रकाश निवासी ग्राम लालताखेड़ा थाना काकोरी लखनऊ उम्र करीब 27 वर्ष से घटना में प्रयुक्त 01 अदद आलाकत्ल चाकू (हशियानूमा) की बरामदगी के आधार पर अभियोग उपरोक्त में धारा 4/25 आर्म्स एक्ट की बढोत्तरी करते हुए गिरफ्तार किया गया। आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

02-अपराध का उद्देश्य:-

अभियुक्त द्वारा अपने साथियों के साथ मिलकर प्रेम प्रंसग में मनोज लोधी व रोहित लोधी की चाकू से गला रेत कर हत्या देना।

03-गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1. विनीत कुमार पुत्र प्रकाश निवासी ग्राम लालताखेड़ा थाना काकोरी लखनऊ उम्र करीब 27 वर्ष।
2. अनिल कुमार उर्फ टाडा पुत्र खिलाड़ी निवासी ग्राम लालताखेड़ा थाना काकोरी लखनऊ उम्र करीब 35 वर्ष

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-721
दिनांक-28.03.2025

जोन- उत्तरी/ थाना-गाजीपुर

- **वादिनी की नाबालिग पुत्री को बहला फुसलाकर भगा ले जाने वाले अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**
- **नाबलिग बालिका को किया गया बरामद।**

01-सक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 27.03.25 को वादिनी मुकदमा द्वारा प्रार्थना पत्र के माध्यम से वादिनी की पुत्री उम्री 16 वर्ष के कहीं चले जाने के सम्बन्ध में सूचित किया । वादिनी मुकदमा के उपरोक्त प्रार्थना पत्र के आधार पर मु0अ0सं0 103/2025 धारा 137(2) बीएनएस बनाम-अज्ञात के विरूद्ध पंजीकृत कर तदुपरान्त पीड़िता/अपहता की तलाश प्रारम्भ की गयी।

आज दिनांक 28.03.2025 को थाना गाजीपुर पुलिस टीम मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित पीड़िता की तलाश व पतारसी सुरागरसी में मामूर थी कि तभी वादिनी की पुत्री उम्री 16 वर्ष एक लडके के साथ थाना स्थानीय पर उपस्थित मिली, तदोपरान्त पुलिस टीम द्वारा पीड़िता की पहचान करते हुए पूछताछ की गई तो पीड़िता/अपहता ने बताया कि मैं, पिन्टू कश्यप के साथ चारबाग स्टेशन चली गयी थी वहाँ से चन्द्रिका देवी मन्दिर पर जाकर हम दोनो ने शादी कर ली है तत्पश्चात पीड़िता के पास खड़े लड़के से पूछताछ की गयी तो अपना नाम पिन्टू कश्यप उर्फ प्रखर कश्यप पुत्र महेश कश्यप निवासी ग्राम मानपुर थाना बेहटागोकुल जनपद हरदोई हाल पता इरम पब्लिक कालेज के पीछे इन्दिरा नगर थाना गाजीपुर लखनऊ उम्र 20 वर्ष बताया।

पूर्ण विश्वास होने पर पीड़िता/अपहता को महिला आरक्षी के संरक्षण में लेकर अभि0 पिन्टू कश्यप उर्फ प्रखर कश्यप उपरोक्त को नियमानुसार हिरासत पुलिस में लिया गया।।

पीड़िता/अपहता की बरामदगी व अभियुक्त की गिरफ्तारी के आधार पर धारा 87 बीएनएस की बढ़ोत्तरी करते हुए अभि0 के विरूद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जा रही है।

02-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण—

01-पिन्टू कश्यप उर्फ प्रखर कश्यप पुत्र महेश कश्यप निवासी ग्राम मानपुर थाना बेहटागोकुल जनपद हरदोई हाल पता इरम पब्लिक कालेज के पीछे इन्दिरा नगर थाना गाजीपुर लखनऊ उम्र 20 वर्ष (मजदूरी करना)

03-अनावरित अभियोग-

01-मु0अ0सं0- 103/2025 धारा 137(2)/87 बी०एन०एस० थाना गाजीपुर लखनऊ

04-गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम –

01-उ0नि0 श्री आशीष पाण्डेय

02-का0 जगपाल

03-म0का0 अराधना सेंगर